

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय देवास.

क्रमांक 1524/29/36/नग्रानि/10  
प्रति,

देवास, दिनांक 21/12/2010



श्री विकास पिता श्री टीकमचंद अग्रवाल  
19/3 यंशवत निवास रोड इन्दौर

ग्राम देवास जुनियर की भूमि सर्वे क. 793,794, 795 पे. 820/1पे , 820/2 पे,  
824/3, पे, 825/2, पे. 821 पे. 822/2 पे. कुल रकबा 2.177 हेक्टर का आवासीय  
अभिन्यास (रो -हाउस) अनुमोदन बाबत ।  
आपका दिनांक 13-12-2010 ।

::00::

उपरोक्त विषय के सम्बंध में लेख्य है कि संदर्भित पत्र द्वारा ग्राम देवास जुनियर की  
भूमि सर्वे क. 793,794, 795 पे. 820/1पे , 820/2 पे, 824/3पे, 825/2, पे. 821 पे. 822/2 पे.  
कुल रकबा 2.177 हेक्टर का आवासीय अभिन्यास (रो -हाउस) प्रयोजन हेतु मानचित्र की स्वीकृति चाही  
गई है।

आवेदक भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यथावर्णित दस्तावेजो, शपथ पत्र एवं  
आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा प्रदत्त कालोनाईजर रजिस्ट्रेशन के आधार पर विषयांकित भूमि  
कुल रकबा 2.177 हेक्टर का आवासीय अभिन्यास (रो -हाउस) सैलन मानचित्र अनुसार म0प्र0  
नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम-1973 की धारा-30 (1)-(ख) तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम-1984 के  
नियम- 2 (ईके) एवं नियम-27 के अधिन अनुमोदित कर अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तो के साथ दी  
जाती है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा  
लेना अनिवार्य होगा।:-
  - अ. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-172
  - ब. म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते)  
नियम-1998,
  - स. नजूल विभाग, देवास ।
  - द. देवास विकास प्राधिकरण देवास ।
  - ई. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना  
आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

- 2- म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते नियम-1998  
के नियम -3 कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण सहित अन्य सभी नियमो का पालन  
आयुक्त नगर पालिक निगम देवास द्वारा सुनिश्चित करने के पश्चात ही सक्षम  
प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम देवास द्वारा विकास के कार्य की अनुमति  
प्रदान की जावेगी ।



//2//

- 3- म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें ) नियम 1998 संशोधित नियम 19 अप्रैल 2010 के तहत आवेदक भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार कमजोर आय वर्ग हेतु कुल भूखण्डीय क्षेत्र का 15 प्रतिशत का 1/4 रकबा 447.57 वर्ग मीटर पर संलग्न मानचित्र में कस्थाई रंग से दर्शाये अनुसार 20-24 वर्ग मीटर प्रति इकाई के मान से 19 आवासीय इकाईया भूतल + दो तल पर निर्मित करना होगा । भवनो के आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन, मूल्य तथा आवंटन शासन के नियमो के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा ।
- 4- म0प्र0 नगर पालिका नियम 1998 संशोधित नियम 19 अप्रैल 2010 के तहत आवेदक भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार संलग्न मानचित्र में बेंगनी रंग से दर्शाये अनुसार कुल भूखण्डीय क्षेत्र के 10 प्रतिशत के 1/4 भाग रकबा 299.0 वर्ग मीटर आरक्षित है। उक्त आरक्षित भूमि पर विहित आकार की भवन ईकाईया निर्मित करने के सम्बंध में शासन से प्राप्त आदेशो/नियमो का पालन करना अनिवार्य होगा । जिसका अनुमोदन इस कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक होगा । भवनो के आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन, मूल्य तथा आवंटन शासन के नियमो के तहत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम देवास द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा ।
- 5- संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूखण्ड क्रमांक 01 से 37 तक रो हाउस के विकास/निर्माण हेतु अनुमति मान्य होगी । किसी भी स्थिति में भूखण्ड विक्रय मान्य नहीं होगा । जिस पर भूतल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र 60 प्रतिशत भवन की अधिकतम उचाई (भूतल +01) 7.50 मीटर मान्य होगी । शेष भूखण्ड क्रमांक 38 से 167 तक भूखण्डीय विकास मान्य होगा ।
- 6- संलग्न मानचित्र में प्रस्तावित रो हाउस की टाईप डिजाईन सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम देवास से स्वीकृत करना अनिवार्य होगा ।
- 7- नियमानुसार कालोनी का विकास कार्य सम्पन्न होने के पश्चात भूखण्डो पर भवन निर्माण अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानो के तहत नगर पालिक निगम देवास द्वारा दी जावेगी ।
- 8- भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीक से करना होगा ।



//3//

- 9- म0प्र0नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम-1998, के प्रावधानों के अनुसार समस्त आधार भूत सुविधाओं का विकास कार्य पूर्ण कर पूर्णता का प्रमाण पत्र आवेदकगण सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे ।
- 10- विषयांकित भूमि के प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमियों पर निर्मित/ अनुमोदित मार्गों /प्रस्तावित मार्गों भूखण्डों /खुले क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों की निरंतरता का समायोजन किया जाना अनिवार्य होगा । अतः मार्गों को गेट अथवा बाउंड्री वाल से अवरुद्ध नहीं किया जावेगा ।
- 11- संलग्न मानचित्र में दर्शाये गए उद्यान (पार्क) की भूमि को फेंसिंग कर उसका विकास पथ वृक्षारोपण एवं पौधे लगा कर प्राथमिकता के आधार पर किया जाना होगा ।
- 12- म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ-1/32/ 86 भोपाल दिनांक 5-6-1986 के परिपालन में प्रत्येक भूखण्ड के सामने एक बड़ा धना छायादार वृक्ष लगाकर उसका रख रखाव करना आवश्यक होगा । इसके अतिरिक्त म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक 28-1-1998 के अनुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर के मान से वृक्षारोपण करना होगा ।
- 13- अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना होगा ।
- 14- स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन सम्बंधी जानकारी 5 फीट बाय 4 फीट साईज के बोर्ड पर अंकित कर स्थापित करना अनिवार्य होगा ।
- 15- म0प्र0भूमि विकास नियम-1984 के नियम-78 (4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल प्रदाय प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी ।
- 16- संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं माना जावे ।
- 17- म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा- 33 के प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा 3 (तीन) वर्ष की समयावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।


*(Handwritten signature)*



//4//

- 18- नियमानुसार विकास की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विष्णांकित भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराना होगा । सीमांकन उपरांत स्थल की सीमा अथवा अभिन्यास अनुसार यदि कोई भिन्नता आती है तो विष्णांकित भूमि का सीमांकित अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदित कराने के पश्चात ही स्थल पर विकास कार्य किया जा सकेगा
- 19- किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा सम्बंधी विवाद उत्पन्न होने पर या दी गई जानकारी असत्य होने पर अथवा उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म0प0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिहोक) की जा सकेगी ।

संलग्न :- एक स्वीकृत मानचित्र


  
उप संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला कार्यालय देवास

कमांक 15252/1528 / 29/36/नग्रानि/10  
प्रतिलिपि :-

देवास, दिनांक 21/12/2010

- 1- आयुक्त नगर पालिक निगम देवास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि विकास अनुज्ञा की एक प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 3- जिला उप पंजीयक (स्टाम्प) पंजीयन कार्यालय देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4- कार्यपालन यंत्री क (शहर) म0प्र0 विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड देवास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संलग्न :- समस्त के साथ एक स्वीकृत मानचित्र

  
उप संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला कार्यालय देवास

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय देवास.

क्रमांक 1468 /29/34/नग्रानि/10

देवास, दिनांक 13/12/2010

प्रति,

श्री टी.के.नारंग प्रा.लि.  
डी-46 एच.आई.जी. कालोनी,  
इन्दौर.

विषय:-

ग्राम शंकरगढ तहसील देवास की भूमि सर्वे क्र. 148/1 पैकी, 148/2 पै. 149 पै. 150 पै. 151, 152,153, एवं 154 कुल रकबा 1.716 हेक्टर का आवासीय अभिन्यास अनुमोदन बाबत ।

संदर्भ:-

आपका आवेदन दिनांक 4-12-2010 ।

::00::

उपरोक्त विषय के सम्बंध में लेख्य है कि आपके संदर्भित आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो एवं शपथ पत्र के आधार पर ग्राम शंकरगढ तहसील देवास की भूमि सर्वे क्र. 148/1 पैकी, 148/2 पै. 149 पै. 150 पै. 151, 152,153, एवं 154 कुल रकबा 1.716 हेक्टर का आवासीय अभिन्यास म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश,अधिनियम-1973 की धारा-30 (1)-(ख)तथा म0प्र0भूमि विकास नियम-1984 के नियम-2(5)(क) एवं नियम-27 के अधिन अनुमोदित कर अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तो के साथ दी जाती है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा।:-  
अ. म0प्र0भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-172  
ब. म0प्र0नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम-1998,  
स. नजूल विभाग,देवास  
द. देवास विकास प्राधिकरण देवास ।  
ई. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो,तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।


- 2- म0प्र0नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम-1998 के नियम -3 कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण सहित अन्य सभी नियमो का पालन सुनिश्चित करने के पश्चात ही सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम देवास द्वारा विकास के कार्य की अनुमति प्रदान की जावेगी ।

//2//

म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें ) नियम 1998 संशोधित नियम 19 अप्रैल 2010 के तहत आवेदक भू-स्वामियो द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार कमजोर आय वर्ग हेतु कुल भूखण्डीय क्षेत्र का 15 प्रतिशत का 1/4 भाग पर आरक्षित रकबा 279.00 वर्ग मीटर पर संलग्न मानचित्र में कल्थाई रंग से दर्शाये अनुसार 20-24 वर्ग मीटर प्रति इकाई के मान से 12 आवासीय इकाईया भूतल + दो तल पर निर्मित करना होगा । भवनो के आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियो का चयन, मुल्य तथा आवंटनशासन के नियमो के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा ।

- 4- म0प्र0 नगर पालिका नियम 1998 संशोधित नियम 19 अप्रैल 2010 के तहत आवेदक भू-स्वामी द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार संलग्न मानचित्र में बेंगनी रंग से दर्शाये अनुसार कुल भूखण्डीय क्षेत्र के 10 प्रतिशत रकबा 648.00 वर्ग मीटर निम्न आय वर्ग हेतु आरक्षित है । उक्त आरक्षित भूमि पर विहित आकार के भूखण्डो के सम्बंध में शासन से प्राप्त निर्देशो/नियमो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।जिसका अनुमोदन इस कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक होगा । भूखण्डो के आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियो का चयन, मुल्य तथा आवंटन शासन के नियमो के तहत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम देवास द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा ।
- 5- नियमानुसार कालोनी का विकास कार्य सम्पन्न होने के फ़्यात भूखण्डो पर भवन के आंतरिक प्रस्ताव म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानो के तहत नगर पालिक निगम देवास से स्वीकृत कराने के उपरांत ही भूखण्डो पर विकास/निर्माण किया जा सकेगा । भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जाना होगा ।
- 6- म0प्र0नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम- 1998, के प्रावधानो के अनुसार समस्त आधार मूल-भूत सुविधावो का विकास कार्य पूर्ण कर पुर्णता: का प्रमाण पत्र आवेदक सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगे ।
- 7- विष्यांकित भूमि मे से देवास विकास योजना 2011 के प्रस्ताव अनुसार 30.0 मीटर चौडा मुख्य मार्ग कमांक 01 प्रस्तावित है। अतः संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार उक्त मार्ग के स्थल को सीमांकित कर इस कार्यालय से सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा । उक्त प्रस्तावित मार्ग हेतु 30.0 मीटर चौडी भूमि खुली रखकर भूमि के अंतर्गत दोनो ओर 9.0 मी- 9.0 मीटर चौडे सर्विस मार्ग विकसित करना होंगे ।
- 8- संलग्न मानचित्र में नारंगी रंग से दर्शाये ब्लाक बी भूखण्डो की स्वीकृति सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक उपयोग हेतु दी जाती है । सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के भूखण्ड आवास एवं अन्य उपयोग हेतु मान्य नही होगा ।

- 9- विष्णुांकित भूमि के प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमियो पर निर्मित/ अनुमोदित मार्गो /प्रस्तावित मार्गो भूखण्डो /खुले क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रो की निरंतरता का समायोजन किया जाना अनिवार्य होगा । अतः मार्गो को गेट अथवा बाउड्री वाल से अवरुद्ध नही किया जावेगा ।
- 10- संलग्न मानचित्र में दर्शाये गए उद्यान (पार्क) की भूमि को फेसिंग कर उसका विकास पथ वृक्षारोपण एवं पौधे लगा कर प्राथमिकता के आधार पर किया जाना होगा ।
- 11- म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क. एफ-1/32/ 86 भोपाल दिनांक 5-6-1986 के परिपालन में प्रत्येक भूखण्ड के सामने एक बडा धना छायादार वक्षु लगाकर उसका रख रखाव करना आवश्यक होगा । इसके अतिरिक्त म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक 28-1-1998 के अनुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर के मान से वृक्षारोपण करना होगा ।
- 12- अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना होगा ।
- 13- स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन सम्बंधी जानकारी 5 फीट बाय 4 फीट साईज के बोर्ड पर अंकित कर स्थापित करना अनिवार्य होगा ।
- 14- म0प्र0भूमि विकास नियम-1984 के नियम-78 (4) के प्रावधानों के अनुसार शहरी जल प्रदाय प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी ।
- 15- संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नही माना जावे ।
- 16- म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश,अधिनियम-1973 की धारा- 33 के प्रावधानो के अनुसार यह अनुज्ञा 3 (तीन) वर्ष की समयावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।
- 17- नियमानुसार विकास की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विष्णुांकित भूमि का सीमांकन आवेदक भूस्वामि को राजस्व विभाग से कराना होगा । सीमांकन उपरांत स्थल की सीमा अथवा अभिन्यास अनुसार यदि कोई भिन्नता आती है तो विष्णुांकित भूमि का सीमांकित अभिन्यास इस कार्यालय से अनुमोदित कराने के पश्चात ही स्थल पर विकास कार्य किया जा सकेगा ।




//4//

किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा सम्बंधी विवाद उत्पन्न होने पर या दी गई जानकारी असत्य होने पर अथवा उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म०प्र० भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिक्वोक) की जा सकेगी ।

संलग्न :-

एक स्वीकृत मानचित्र

  
उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला कार्यालय देवास

देवास, दिनांक ..... 13/12/2010

क्रमांक


12169 स 12172  
/ 29/34/नग्रानि/10

प्रतिलिपि :-

- 1- आयुक्त नगर पालिक निगम देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु
- 2- अनुविभागीय अधिकारी( राजस्व ) देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु ।
- 3- उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4- कार्यपालन यंत्री म०प्र० विधुत वितरण कम्पनी लिमिटेड देवास (शहर) ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संलग्न :-

समस्त के साथ एक  
स्वीकृत मानचित्र

  
उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला कार्यालय देवास

क/य/सि

मात



कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय देवास.

क्रमांक 529 /29/35/नग्रानि/10

देवास, दिनांक 21/12/2010

प्रति,

श्रीमति विमल पति एकनाथ नारखेडे,  
श्रीमति सुलोचना पति योगराज खर्चे एवं  
सु श्री हिना पिता योगराज खर्चे  
204 शालीमार जाम इन्दौर

विषय:-

ग्राम जेतपुरा तहसील देवास की भूमि सर्वे क्रमांक 502/2/1, 502/2/2,  
502/2/3 कुल रकबा 2.153 हेक्टर पर वेयर हाउस उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन  
बाबत ।

संदर्भ:-

आपका आवेदन दिनांक 10-12-2010 ।

::00::

उपरोक्त विषय के संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो एवं शपथ पत्र के आधार पर ग्राम जेतपुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 502/2/1, 502/2/2, 502/2/3 कुल रकबा 2.153 हेक्टर पर वेयर हाउस उपयोग हेतु म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम-1973 की धारा-30 (1)-(ख) तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम-1984 के नियम-2(5)(क) एवं नियम-27 के अधिन स्थल अनुमोदन कर निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-  
अ. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-172  
ब. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1956 (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम-1998,  
स. नजूल विभाग, देवास ।  
द. देवास विकास प्राधिकरण देवास ।  
ई. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
2. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के अंतर्गत चारो ओर सीमांत खुले क्षेत्र छोडना अनिवार्य होगा ।
3. प्रस्ताव अनुसार अच्छादित क्षेत्र 30 / प्रतिशत मान्य होगा । वेयर हाउस की अधिकतम उचाई 12.5 मीटर से अधिक मान्य नहीं होगी ।

निरंतर.....2



4. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा ।
5. भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीक से करना होगा ।
6. म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) अनुसार रेनवाटर हावेस्टिंग की प्रणाली स्थापित करना होगी ।
7. उक्त अनुज्ञा की शर्तों के आधार पर म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के तहत भवन का आंतरिक प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा नगर पालिक निगम देवास से प्राप्त करना होगी ।
8. उक्त अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से 3 (तीन) वर्ष तक मान्य होगी ।
9. उक्त अनुज्ञा को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं माना जावे ।
10. विषयांकित भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराना होगा । सीमांकन उपरांत स्थल की सीमा अथवा स्थल मानचित्र अनुसार यदि कोई भिन्नता आती हो तो सीमांकित स्थल मानचित्र का अनुमोदन इस कार्यालय से कराना होगा ।
11. भूमि की वैधानिकता के सम्बंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा दी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिव्होक) की जा सकती है ।

का/प्र/१०  
उप संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला कार्यालय देवास

देवास, दिनांक ..... 21/12/2010

क्रमांक 1530, 1531 / / नग्रानि/10  
प्रतिलिपि :-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 2- आयुक्त नगर पालिक निगम देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला कार्यालय देवास  
का/प्र/१०